रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3663] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2019/कार्तिक 20, 1941
No. 3663] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2019/KARTIKA 20, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

का.आ. 4076(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2201(अ), तारीख 31 मई, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 31 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेपों और सुझावों को प्राप्त नहीं हुए;

और, गुमती वन्यजीव अभयारण्य को त्रिपुरा सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं. एफ.8(69)/एफओआर-डब्ल्यू एल-88/2627, यू/एस 18(1) तारीख 8 सितंबर, 1988 के द्वारा घोषित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 389.54 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है;

और, गुमती वन्यजीव अभयारण्य में पुष्प-वनस्पति की विविधता अद्वितीय है और यह पुष्प वनस्पति उचित रूप से वितरित है। यहां जड़ी-बूटियों की बृहत विविधता है। यहां औषधीय रूप से मूल्यवान झाडियाँ, आरोहक और वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। चैम्पियन और अर्ध वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य में पाई जाने वाली बड़ी वृक्ष प्रजातियों में आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाहरित वन शामिल है। यह अभयारण्य 66 पेड़ प्रजातियों, 74 जड़ी-बूटी और झाड़ी प्रजातियों, 30 लता प्रजातियों, 14 अधिपादप प्रजातियां और 7 बांस प्रजातियों का संरक्षण स्थल है;

और, अभयारण्य के विशाल खुले क्षेत्र में व्यापक रूप से घास फैली है जिसमें मुख्यतः *इम्पेराटा सीलोनड्रीका,* पासपेलम *ऑरबिकुलरे, सेनटोन डेकटलियायोन, शरसोपागोना अकीकुलाटा, बोथरियोकालेन इंटरमीडिया, सेंटोथेका लप्पाकेया, ओपलीरूमेनस कॉमपोस्टीस, साइपरस स्पाइसिज, फीमब्रीस स्पाइसिज* प्रजातियां हैं। वन संरचना में *टेकटोना ग्रेनडीस, अनोगेइसुसा अकुमीनाटा, अलबीजिया प्रोकेरा, सकीमा वालीची, गलोकीडीआन लानकियोलरियम, फीकुरस रेकेमोसा* प्रजातियां हैं। कुछ झाडी प्रजातियां भी प्रमुख है जैसे *सलेरोडेनड्रम वीसकोसम, ऐंटीडसमा एसीडम, क्लोसेना हीपटाफइला, साइकोट्रीआ एडेनोफइला, डराकेना अंगस्टफोलिया आदि है*;

और, अभयारण्य के अंतर्गत वृक्ष प्रजातियों में *अकासीया ऑरीकुलीफॉरमीस ग्रीसेब, अकासीया केसिया वॉल, अलबीजिया प्रोकेरा (आर.ओ.एक्स.बी) बेंथ., ऐन्टीडेसमा अकुमीनाटम वॉल, बीसकोफिया जावीनीका बी.* i, *फीकुस रासेमोसा एल., ग्रार्डनिया रेसीनीफेरा* रोथ शामिल हैं। झाड़ियों में *अबरुस प्रीकाटोरियस (एल.आई.एन.एन.), एक्यरेंथेस एसपेरा (एल.आई.एन.एन.), अधाटोडा जीयलेनीका (मेडिक.), अलोफाइलस कोबे (एल.आई.एन.एन.),* राइसेल, *काइक्स गीगनटीया काइनीग एक्स आर.ओ.एक्स.बी, दिललेनीया इंडिका (लिन)* शामिल हैं और औषधीय पौधों में *अबरुस प्रीकाटोरियस लिन, एक्यरेथेस एसपेरा लिन, अधाटोडा जीयलेनीका मेडिक, अलबिजिया लेब्बक बेनथ., अलीयम अम्पेलोपरासम (हुक) लिन, अलोफाइलस कोब्बे (लिन), राइसेल, लासीयस पीनोसा टी.एच.डब्ल्यू, रिकीनस काम्मुनीस लिन, वेंडलैंडिया टिंकटोरिया (रोक्सब) डी सी* और *जीजीफुस फुनीकुलोसा मिल्ल* आदि हैं;

और, गुमती वन्यजीव अभयारण्य 43 दुर्लभ और संकटापन्न पुष्प प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें *आरटोकारपस लैकुचा* (दौ चमाल), *ऐलेन्थस एक्सेलसा* (जल तुंगी), *अकाकिया निलोटिका* (बबुल), *आल्टोन्सिया स्कोलरिस* (चैटिम), *अल्बिज़िया स्टीपुलेट* (सैटा सिरीश), *अदेंन्थेरा पवोनिया* (रक्ता चंदन), *आवेरोवा बिलिम्बी* (बिलिम्बी), *आवेरोवा कैरेमबोला* (कामरंगा), *अनोना स्क्वॉमोसा* (सिताफल), *अनोना रेटिक्यूलेट* (नोना), *बमपैक्स सीईबा* (शिमुल), *बिक्सा ऑरेलाना* (लाटकॉन), *क्रेटेवा नूरवाला* (बारुन), *सिनामोमम कैम्फोरा* (करपुर), *सिन्नामोम तमला* (तेज पत्ता), *कोरुपिता ग्वानेंसिस* (नागलिंगम) , *सीसस क्वाड्रैंगुलरिस* (हरज़ोरा), *दुआभंगा ग्रैंडिफ्लोरा* (राम दाला), *डाल्बर्गिया सिसो* (शिशु), *डायोस्पिरेस मॉन्टाना* (बाना गेब), *डायस्पिरोस पेरिग्रिना* (गाब), *फिकस इलास्टिक* (इंडियन रबर), *फिकस कृष्ण* (कृष्णा बॉट), *फियोस रिसेमोसा* (जग्गा डुमूर), *फेरो लिमोमोना* (कोइड बेल), *गार्सिनिया कोवा* (कौ फाल), *हाइडनोकारपस कुर्ज़ी* (चलमोगरा), *लेग्रास्ट्रमिया फ्लोस रेगेन* (गैंग जारूल), *मेलोटस फिलिपिनेंसिस* (कुंजुना/ कमेला), *मेसिया फेरेआ* (नागेश्वर), *मंगिफेरा सिल्वाट्रिका* (लक्ष्मी एम), *मुर्रा पॅनिकुलाता* (कामिनी), *मिमोसा रुबिकानस* (घिला), *साईडियम गिनेंस* (बन गुवा), *सिजीगियम जेम्बोस* (गोलाप जाम), *सिजीगियम समरगेंसे* (जमरुल), *सिपिन्दुस मुकूरोसा* (रिथा), *सरका अशोका* (अशोक), *स्पोंदास पिन्नता* (अमर्रा), *स्टेरकुला विलोसा* (उदल), *स्वेतेनिया मैक्रोफिला* (बिग मेहोगोनी), *स्वेटनीया महागोनी* (मेहोगिनी) और विटेक्स नागुंडू (निशिन्दा) शामिल हैं;

और, अभयारण्य के विविध भू-दृश्य समृद्ध जीवजंतु जैव विविधता के घटन के लिए काल्पनिक पर्यावरणीय अवस्था प्रदान करता है और मुख्य जीवजंतु एशियाई हाथी, मुंजक, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, भारतीय साही, मालापत विशाल गिलहरी है। अभयारण्य संकटापन्न प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है, जिसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 अनुसूची I/II) के तहत घोषित हुलांक उतक, लजीला वानर, केपड लंगुर और पहयेरे पर्ण वानर शामिल हैं। अभयारण्य में पक्षी-जीव समृद्ध है और 124 पक्षी प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है जिसमें लैसर व्हिस्टलिंग बतख *(डेनड्रॉयना जवानीका),* बार-हेडेड गोज़ *(एनसर इंडिकस),* रूडी शेल्डक (*टडोर्ना फेरुगिनिया),* गडवाल्ल (*मेराका स्ट्रेपा),*सामान्य *टील* (*अनास क्रेका),* सामान्य बटेर (*कॉटर्निक्स कॉटूर्निक्स),* रेड जंगलफ्लोव (*गल्लुस गल्लुस),* कलिज तीतर(*लोफुरालयूकोमेलानोस),*रॉक कबूतर (*कोलुम्बा लिविया),* ओरिएंट कछुआ कबूतर (*स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटलिस),* स्पोट्टेड नेक्लेड कबूतर (*स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस),* ओरेंज-ब्रेस्टेड ग्रीन कबूतर (*ट्रेरोन बाइकेन्टस),* येलो-लेग्गड़ ग्रीन कबूतर (*ट्रेरोन फोनीकोप्टरस),* पिन-टेल्ड ग्रीन कबूतर (*ट्रेरोन एपिकाडा),* वेज-टेल्ड ग्रीन कबूतर (*ट्रेडों स्फेनुरुस),* इमेराल्ड कबूतर (*चालकोफाप्स इंडिका),* भारतीय निघतजार(*कैप्रिमुलगुस*

एशियाटिकस), एशियन पाम स्विफ्ट *(साइपसुरस बैलाएनेसिस)*, फोर्क-टेल्ड स्विफ्ट *(एपुस पैसिफिकस)*, हाउस स्विफ्ट (*एपस निपलेंसिस)*, *छोटा* स्विफ्ट (*एपस एफिनिस)*, ग्रेटर कोउकल (सेंट्रोपस साइनेंसिस*), लेस्सेर कोउकल (सेंट्रोपस बेनगालेंसिस)*, ग्रीन-बिल्ड मल्कोहा (*फेनिकोफेयस ट्रिस्टिस)*, कॉमन *कोयल(यूडिनमायस स्कोलोपासस*), ड्रोंगो कुक्कू (*सर्निकुलस लुगब्रीस)*, भारतीय कुक्कू *(*कुकुलस मिक्रोपटेरूस*)*, भारतीय पोंड बगुला (*अरोडोला गरायी)*, मवेशी इग्रेट (*बुबुलकस इबिस)*, *स्ट्रीपेड टिट (मिकोरनिस क्यूलारिस)*, मार्श बब्बलर (*पेलोर्नियम पलुस्टे)*, *लेस्सर नेकलाकेड* लाफिंग-थ्रश *(गर्रूलेक्स मोनिलेगेर)*, रूफ-नेकड लाफिंग-थ्रश *(गर्रूलेक्स रूफिकोल्लिस)*, एशियन पाइड स्टर्लिंग *(गराकुपिका कोंटरा)*, चेस्टनट-टेल्ड स्टर्लिंग (*स्तुर्निया मालाबारिका)*, सामान्य *मैना* (*एक्रिडोथीस ट्रिस्टिस)*, *जंगली मैना* (*एकरीडोथेरेस फुस्कुस)*, पहाड़ी मैना *(ग्रेकुला रेलिगिओसा)*, भारतीय रॉबिन (*सैक्सिकोलोइडस फुलिकैटस)*, ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन *(कोप्सिकस)*, एशियाई वर्डिटर फ्लाइकैचर (*इयमविसथालास्सिनस)*, भारतीय ब्लू रॉबिन (*लारिवोरा ब्रुनेशिया)*, आदि शामिल है*;*

और, गुमती वन्यजीव अभयारण्य में 42 दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवजंतु प्रजातियों को आश्रय और संरक्षण मिलता है जिनमें *राणा टाइग्रिना* (पैडी फिल्ड फ्राग), *राणा टाइग्रिनाना डोडिन* (इंडियन बुल फ्राग), *पॉलिडीडेट्स मैकुलाटेस* (ट्री फ्रॉग), *टोकस बिरोस्टिस* (*सामान्य* ग्रे हॉर्नबिल), *माइक्रोप्रोटेन्सस ब्राच्यूरस* (रेफ़ोस वुडपीकर), *ट्रैक्टीपेटेकस पाइलटुआ दुर्गा* (कैप्ड लंगुर), *ट्रैक्थिहेकस औबकुरेस फ़ेरेई* (स्पेक्टेले लंगुर), *मानिस पेंटाक्टाइला* (चीनी पैंगोलिन), *बूनोपेटेकस हूलूक* (हुलांक उतक), *एलीफस मैक्सिमा* (भारतीय हाथी), *फेलिया बेंगलेंसिस* (तेंदुआ बिल्ली), *निक्टिकेबस कौकैंग* (स्लो लोरिस), *मकाका मुल्टा* (रीसस मकाक), *कुओन अल्पाइंस* (जंगली कुत्ता), *मुनटियाकस मुंटजैक* (मुंजक), सस् स्क्रोफा (बनैला सूअर), *हाइस्ट्रीक्स इंडिका* (भारतीय साही), *फेलिस मरमोराटा* (जंगली बिल्ली), *विवररा जिबाथा* (बड़े भारतीय सिवेट), *हर्पेस्टस अरोपंक्टलुस* (सामान्य नेवला), *हर्पेस्टेश विवा* (*छोटा* भारतीय नेवला), *लुट्रा लुट्रा* (सामान्य उदबिलाव), *कैनिस औरसुस* (सियार), *मेलरुस अरसिनस (*रीछ), *सिएलेनोरोथोस्टिनीनेटस* (हिमालयन बीयर), स्कॉकोफिलस *हैथी* (*सामान्य* येलो बैट), *रतुफा बिकोलोर* (*मालायन* विशालकाय गिलहरी), *पैंथर पारकस* (तेंदुआ), *माकाका नेमेस्ट्रिना* (पिग टेल्ड मैकाक्यू), *मकका आर्टेक्साइड* (स्टम्प टेल्ड मैकाक्यू), *कैपरा हिरकस* (जंगली बकरी), *टोर टोर* (महाशोल), *पोनिटस सोफोर* (सोर पुथी), *डेनियो डेवरियो* (बासपाटा), *बोटिया डारियो* (रानीमैक/बीटंगी), *बगुईस बैगेजियस* (बाघ्हा आरयर), *नंड्स नंड्स* (मेनी), *कोलिसा लालिओ* (खलिशा), *कोलिसा चुना* (खै ज्या), *मैक्रोगनथस एसीयूलेटस* (बंगाश), *टेट्राससन कंटकटिया* (बॉल्ल फिश) और *एल्पाकोइलस पंचांच* (चोख कुनी) शामिल हैं*;*

और, गुमती वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा और (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिला में गुमती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गुमती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.20 किलोमीटर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 58.91वर्ग किलोमीटर (पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार अभयारण्य के पूर्व और दक्षिण पूर्व सीमा में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण है।) है। गुमती वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 30

मीटर उचित होगा क्योंकि अविरत बस्तियों के कारण वन्यजीव अभयारण्य के पूर्व भाग के साथ प्रस्तावित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी भाग की ओर अंतर्गत 35 से अधिक ग्राम आते है जिसमें गंदाचेर्रा, नारायणपुर रैशयाबरी, जी बी पारा, गंगानगर आदि शामिल है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और गुमती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण, अक्षांश और देशांतर और ग्राम अवस्थान के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन गुमती वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–II क, उपाबंध–II ख** और **उपाबंध–II ग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और गुमती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों नदियों और जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी ।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:—

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी ;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:—

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	**(2)**	**(3)**
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी । (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि)	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान

	उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा ।
10.	फर्मों, कारपोरेट कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी,

		जैसे :— परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी—
25.	पोलिथीन थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:—

क्र.सं.	**निगरानी समिति का संघटक**	**पदनाम**
(i)	वन संरक्षक / उप वन संरक्षक / उद्यान और अभयारण्य, त्रिपुरा सरकार	अध्यक्ष, *पदेन;*
(ii)	क्षेत्र के सीनियर शहर योजनाकार	सदस्य;
(iii)	त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रकृति संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान / त्रिपुरा विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ को नामित किया जाना	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित की जाने वाली जैव विविधता के विशेषज्ञ।	सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र)	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** के अनुसार प्रोफार्मा उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. - 25/33/2015 – ईएसजेड-आरई]
डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

त्रिपुरा राज्य में गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी भाग में अथारामुरा रिजर्व वन और कुलाई रिजर्व वन फैला है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1.2 किलोमीटर रखा गया है। अथारामुरा रिजर्व वन जुरीचारा के ऊपर और पश्चिम दिशा में लक्ष्मीपुर मौजा में है। कुलाई रिजर्व वन की सीमा अमबासा सिविल उप-मंडल के उलेमचारा मौजा से लगती है।

उत्तरी पश्चिम सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी पश्चिम भाग में तेलियामुरा सिविल उप-मंडल के उत्तर गुकुलनगर और दक्षिण गुकुलनगर हैं जहाँ प्रस्तावित प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1.2 किलोमीटर रखा गया है और अमरपुर सिविल उपमंडल का पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर रखा गया है। इन तीनों मौजा में से, दो मौजा अर्थात उत्तर गुकुलनगर, दक्षिण गुकुलनगर की सीमा उपरी भाग में ब्रमहाचारा के साथ और निचले भाग में जमभुकचारा के साथ लगती है। पश्चिम कालाझरी आरक्षित वन नामक मौजा दक्षिण गुकुलनगर से नीचे की ओर हैं और इकजनचारा तक फैला है जो दक्षिण गुकुलनगर मौजा की सीमा से लगभग 17.5 किलोमीटर दूर है।

दक्षिण सीमा :-

प्रस्तावित गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अमरपुर सिविल उप-संभाग के अंतर्गत समीपवर्ती मौजा पश्चिम कलाझारी रिजर्व वन है।

दक्षिण पश्चिम सीमा :

प्रस्तावित गुमती वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अमरपुर सिविल उप- मंडल के अंतर्गत पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर रखा गया है। दक्षिणी पश्चिमी सीमा इकजनचारा के नीचे से प्रारंभ होकर और दक्षिण बिंदु के नीचे दांए तरफ लगभग 45.0 किलोमीटर फैली है । दक्षिण बिदु के नीचे, बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। अमरपुर सिविल उप-मंडल के अतर्गत पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन की सीमा पुरबा कालाझारी रिजर्व वन से लगती है । (जो गुमती वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है।)

उत्तर पूर्व सीमा :-

उत्तर पूर्वी सीमा अमबासा सिविल उप- मंडल के उलेमचारा मौजा से प्रारंभ होकर और गंडाचारा सिविल उप- मंडल के पश्चिम गंडाचारा मौजा तक है। गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी पूर्वी सीमा में उलेंमचारा, लालचारा, खामुपारा, सीधापारा शामिल है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य और जीनेरापार-उल्टाचारा की सीमा से 0.5 किलोमीटर रखा गया है। जो पश्चिम गंडाचार है, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.03 किलोमीटर रखा गया है। उलेमचारा और लालचारा मौजा के मध्य में अमनबासा – गंडाचारा सड़क आती है और इसके बाद राधारामबारी, करमापारा से होकर गुजरती है और अंतत: अभयारण्य के बाहर से होकर उल्टाचारा मौजा से मिलती है।

दक्षिण पूर्वी सीमा :

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पूर्वीसीमा में गंडाचारा सिविल उप-मंडल के सरमा, बुलंगबासा, रानीपुकुर, कमलखाल, पश्चिम पोटाचारी मौजा शामिल हैं। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन

की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.030 किलोमीटर रखा गया है और इसी ओर करबुक सिविल उप-मंडल का चाकपुरा मौजा है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.5 मीटर रखा गया है। सरमा मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से गुजरने वाली अमनबासा –गंडाचारा सड़क बुलंगबासा मौजा में पारिस्थिति की जोन की सीमा से 1.2 किलोमीटर दूर है जो रानीपुकर मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को छूती है। यह कमालखाल मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से 0.75 किलोमीटर दूर है। पश्चिम राईमा मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से 2.5 किलोमीटर दूर है। पारिस्थितिकी जोन की सीमा पश्चिम पाटाचारी मौजा में, बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 3.7 किलोमीटर दूर है। चकपुर मौजा में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 4.25 किलोमीटर दूर है।

अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है और इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 0.0 किलोमीटर प्रस्तावित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.0 किलोमीटर (बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ) से 1.2 किलोमीटर तक है।

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश–देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और गुमती वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र

उपाबंध- II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

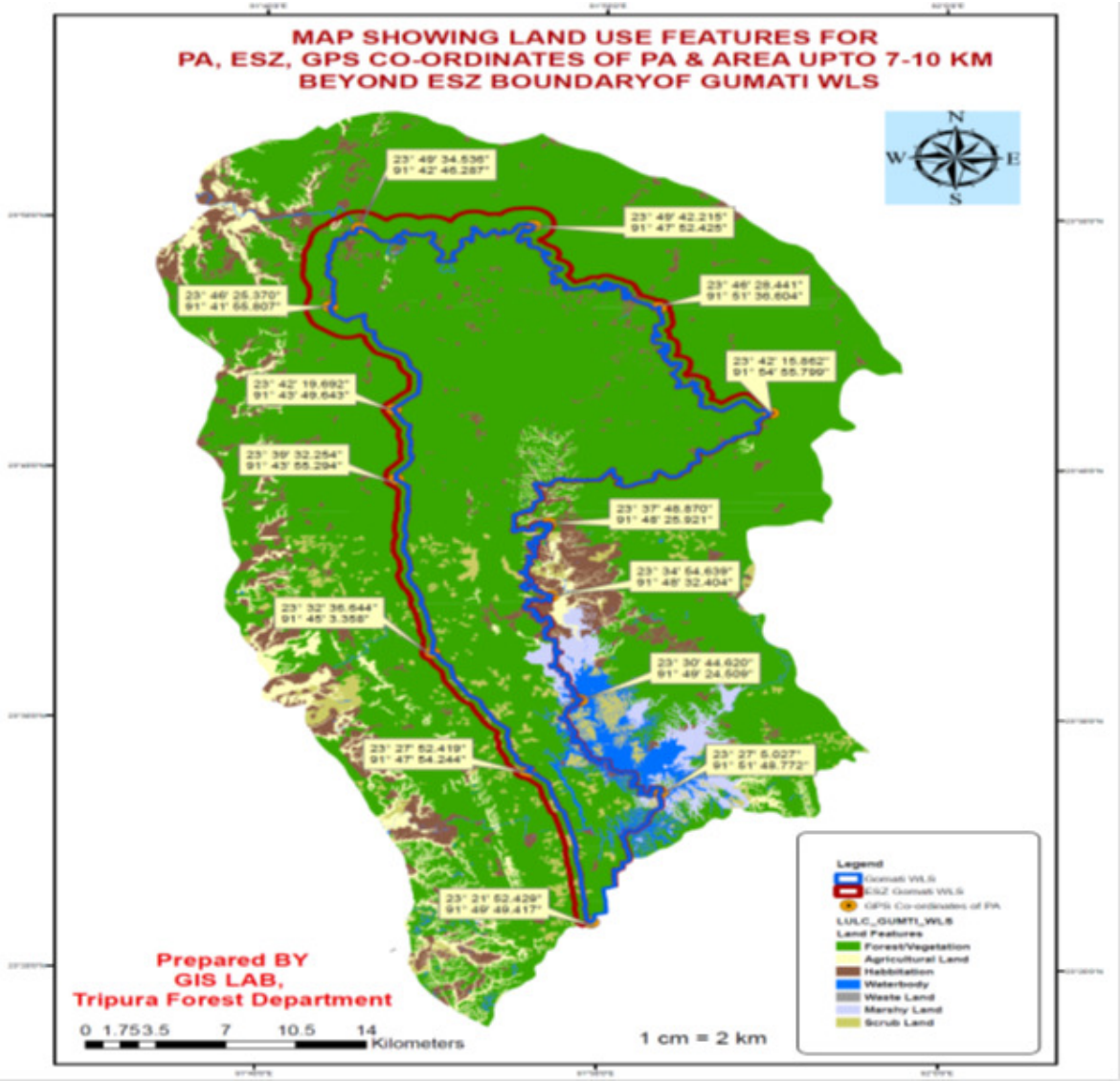

उपाबंध- ।।ग

अक्षांश और देशांतर के साथ गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्रामों के अवस्थान को दर्शाने वाला मानचित्र

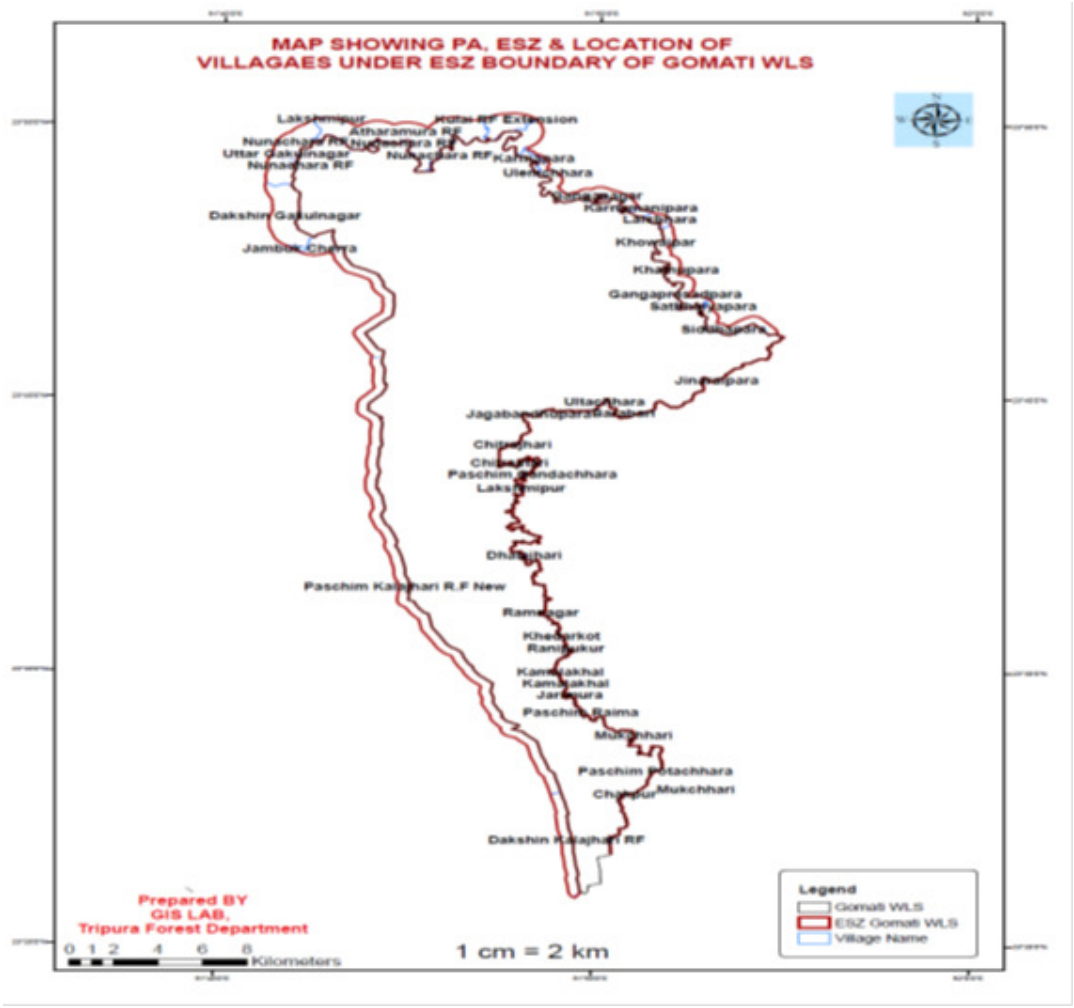

उपाबंध-III

सारणी क: गुमती वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	23°49′ 34.536″	91° 42′ 46.287″
2.	23° 39′ 32.254″	91° 43′ 55.294″
3.	23° 27′ 52.419″	91° 47′ 54.244″
4.	23° 21′ 52.429″	91° 49′ 49.417″
5.	23° 27′ 5.027″	91° 51′ 48.772″
6.	23° 30′ 44.620″	91° 49′ 24.509″
7.	23° 37′ 48.870″	91° 48′ 25.921″
8.	23° 42′ 15.862″	91° 54′ 55.799″
9.	23° 46′ 28.441″	91° 51′ 36.604″
10.	23° 49′ 42.215″	91° 47′ 52.425″

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '0' मीटर			
क्र. सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**	**टिप्पणियां**
1	23° 24'06.00"	91° 50'45.36"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '0' मीटर बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा यहाँ '0' रखी गयी है। यह क्षेत्र करबुक उप-मंडल के क्षेत्राधिकार में है।
2	23° 23'31.88"	91° 50' 20.17"	
3	23° 23'02.56"	91°50'14.39"	
4	23°22'35.54"	91°50'12.96"	
5	23°21'48.72"	91°50'00.59"	
6	23°21'44.08"	91°49'48.84"	
7	23° 21'44.03"	91°49'36.10"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '500' मीटर			
क्र. सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**	**टिप्पणियां**
1	23°25'30.26"	91°51'24.11"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '500' मीटर करबुक उप-मंडल के चाकपुरा मौजा की सीमा से लगता है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा यहाँ 500 मीटर रखी गयी है।
2	23°25'22.15"	91°51'19.94"	
3	23°25'06.96"	91°50'45.04"	
4	23°24'18.27"	91°50'55.08"	
5	23°24'05.69"	91°50'45.67"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट "30" मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1.	23°41'09.68"	91°54'35.61"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट "30" मीटर की सीमा गंडाचारा उपमंडल से लगती है । प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को गंडाचारा उप-मंडल की सीमा से 30 मीटर रखा गया है।
2.	23° 40'27.87"	91° 54'09.65"	
3.	23°39'55.45"	91°53'23.18"	
4.	23°39'45.38"	91°53'08.34"	
5.	23°39'45.46"	91°52'39.93"	
6.	23°39'01.45"	91°52'26.75"	
7.	23°38'44.98"	91°51'49.05"	
8.	23°39'0.20"	91°51'25.25"	
9.	23°38'15.06"	91°50'28.07"	
10.	23°38'17.35"	91°50'15.95"	
11.	23°38'56.15"	91°49'56.90"	
12.	23°38'34.21"	91°49'39.53"	
13.	23°38'27.07"	91°48'11.35"	
14.	23°36'58.39"	91°48'08.98"	
15.	23°36'52.81"	91°48'15.29"	
16.	23°36'17.03"	91°48'16.36"	
17.	23°36'08.86"	91°48'26.55"	
18.	23°35'40.77"	91°48'40.14"	
19.	23°35'30.47"	91°48'38.50"	
20.	23°35'19.17"	91°48'21.01"	
21.	23°34'51.90"	91°48'27.99"	
22.	23°34'48.93"	91°48'39.66"	
23.	23°34'40.48"	91°48'44.00"	
24.	23°38'31.86"	91°48'42.82"	
25.	23°34'14.35"	91°48'54.12"	
26.	23°33'42.04"	91°48'34.36"	
27.	23°33'18.31"	91°48'31.06"	
28.	23°33'01.04"	91°48'40.75"	
29.	23°32'53.33"	91°49'02.42"	
30.	23°32'31.55"	91°49'09.44"	
31.	23°32'18.09"	91°49'24.33"	
32.	23°32'04.89"	91°49'25.25"	
33.	23°31'07.95"	91°49'05.54"	
34.	23°30'45.47"	91°48'57.23"	

35.	23°30'40.11"	91°49'02.19"	
36.	23°30'26.84"	91°49'20.64"	
37.	23°30'02.88"	91°49'20.30"	
38.	23°29'43.47"	91°48'58.07"	
39.	23°29'27.24"	91°48'58.09"	
40	23°29'14.50"	91°49'08.80"	
41.	23°28'52.57"	91°49'14.86"	
42.	23°28'42.31"	91°49'34.89"	
43.	23°28'21.74"	91°49'40.98"	
44.	23°28'11.86"	91°49'50.17"	
45.	23°28'09.63"	91°50'03.20"	
46.	23°27'49.53"	91°50'12.03"	
47.	23°27'41.12"	91°50'19.83"	
48.	23°27'38.10"	91°50'39.90"	
49.	23°27'43.92"	91°50'51.14"	
50.	23°27'38.27"	91°50'56.24"	
51.	23°27'40.97"	91°51'15.48"	
52.	23°27'15.98"	91°51'44.46"	
53.	23°26'57.16"	91°51'50.90"	
54.	23°26'22.85"	91°51'44.30"	
55.	23°25'30.52"	91°51'14.20"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम भाग में आफसेट "500" मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1.	23°21'44.73"	91°49'23.89"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम भाग में आफसेट" 500 "मीटर की सीमा अमरपुरा उपमंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अमरपुर उप- मंडल की सीमा से 500 मीटर रखा गया है । पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले मौजा पुरबा मनीक्या दीवान और पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन हैं।
2.	23°24'39.88"	91°49'04.37"	
3.	23°26'40.63"	91°48'30.17"	
4.	23°27'28.15"	91°47'42.59"	
5.	23°27'59.10"	91°47'22.27"	
6.	23°29'09.75"	91°47'03.35"	
7.	23°30'23.42"	91°46'06.49"	
8.	23°32'09.19"	91°45'03.28"	
9.	23°33'34.98"	91°44'53.76"	
10.	23°34'44.05"	91°44'24.75"	
11.	23°36'24.55"	91°44'11.25"	
12.	23°37'53.23"	91°44'17.29"	

13.	23°38'21.15"	91°44'13.20"	
14.	23°38'42.23"	91°43'54.44"	
15.	23°39'42.83"	91°44'14.87"	
16.	23°40'18.05"	91°44'12.84"	
17.	23°40'34.62"	91°43'51.85"	
18.	23°40'57.00"	91°43'44.01"	
19.	23°41'21.80"	91°43'51.62"	
20.	23°41'46.76"	91°44'18.08"	
21.	23°42'02.56"	91°44'19.90"	
22.	23°42'32.04"	91°44'12.71"	
23.	23°43'00.03"	91°43'49.87"	
24.	23°43'22.04"	91°43'09.81"	
25.	23°44'11.57"	91°42'34.96"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "500" मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1.	23°48'23.09"	91°47'28.07"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "500" मीटर की सीमा अमबासा उप- मंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अमबासा उप-मंडल की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उलेमचारा, लालचारा, खामपारा और रिजर्व वन मौजा आते हैं।
2	23°48'03.43"	91°47'29.79"	
3	23°47'46.96"	91°47'17.95"	
4	23°47'34.80"	91°47'22.78"	
5	23°47'27.91"	91°47'45.15"	
6	23°47'07.15"	91°48'05.64"	
7	23°46'10.39"	91°48'31.11"	
8	23°46'01.51"	91°48'56.68"	
9	23°46'09.52"	91°49'27.60"	
10	23°45'59.07"	91°50'21.09"	
11	23°45'12.27"	91°51'07.18"	
12	23°45'08.10"	91°51'28.25"	
13	23°44'04.49"	91°51'25.45"	
14	23°43'48.71"	91°51'46.08"	
15	23°43'21.76"	91°51'48.67"	
16	23°43'06.60"	91°52'09.00"	
17	23°42'51.21"	91°52'19.75"	
18	23°42'27.67"	91°52'06.88"	
19	23°42'21.73"	91°51'57.84"	
20	23°42'21.91"	91°52'42.87"	

21	23°41'28.18"	91°52'46.80"	
22	23°41'27.36"	91°53'06.88"	
23	23°41'42.05"	91°53'26.46"	
24	23°41'46.45"	91°53'46.59"	
25	23°41'16.47"	91°53'47.13"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर			
क्र. सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**	**टिप्पणियां**
1	23°43'58.34"	91°41'59.48"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "1200" मीटर की सीमा तेलियामुरा उप- मंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अथारामुरा रिजर्व वन और कुलाई रिजर्व वन मौजा आते हैं।
2	23°44' 28.43"	91°41'24.39"	
3	23°44'59.34"	91°41'22.89"	
4	23°45'27.73"	91°41'32.75"	
5	23°44'09.89"	91°41'18.80"	
6	23°46'56.09"	91°41'27.39"	
7	23°48'16.91"	91°41'01.95"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर			
1	23°48'34.20"	91°42'29.74"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर की सीमा तेलियामुरा उप-मंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में दक्षिण गुकुलनगर मौजा आता है।
2	23°48'30.31"	91°43'03.53"	
3	23°48'14.03"	91°43'17.39"	
4	23°48'23.93"	91°43'37.17"	
5	23°48'21.58"	91°44'04.48"	
6	23°48'29.63"	91°44'39.24"	
7	23°48'13.99"	91°45'06.25"	
8	23°48'22.82"	91°45'09.05"	
9	23°48'36.92"	91°45'34.82"	
10	23°48'36.81"	91°46'00.15"	
11	23°48'28.51"	91°46'10.93"	
12	23°48'31.42"	91°46'25.95"	
13	23°48'43.53"	91°46'31.42"	
14	23°48'50.78"	91°47'09.88"	
15	23°48'32.43"	91°47'41.87"	

उपाबंध -IV

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**
1.	उल्टाचेरी,
2.	लक्ष्मीपुर,
3.	लगंधाचेरा,
4.	सारमा,
5.	पंचारत्न,
6.	पूर्व पोटाचेरा,
7.	जे.बी. पारा,
8.	रामनगर,
9.	तुइचकमा,
10.	ठाकुरचारा,
11.	कालाझारी,
12.	रत्ननगर,
13.	ढालाझारी,
14.	भागीरथ,
15.	डालापती,
16.	बौलखाली,
17.	पश्चिम पोटाचेरा,
18.	कल्याणसिंह,
19.	राइमा
20.	मुकचारी
21.	चाकपुर
22.	मूंगिकामी

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2019

S.O. 4076(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2201(E) dated the 31st May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 31st May, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Gumti Wildlife Sanctuary was declared on 18th September, 1988 *vide* Notification No. F.8 (69)/For-WL-88/2627, dated 08-09-1988, U/S 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government of Tripura covering an area of 389.54 square kilometres;

AND WHEREAS, the floral diversity of the Gumti Wildlife Sanctuary is unique and well distributed in the tires of floral canopies, large varieties of the herbs, shrubs, climber and tree species found in the sanctuary have medicinal value. Major tree species, occurring in association, found in the sanctuary comprising of moist deciduous and semi evergreen forest as per champion and semi classification. The sanctuary supports about 66 tree species, 74 herbs and shrub species, 30 species of climbers, 14 species of epiphytes, and 7 species of bamboo;

AND WHEREAS, a large open area of the Sanctuary has covered with a vast expanse of grasses which dominated by *Imperata cylindrica, Paspalum orbiculare, Cynodon dactylon, Chrysopogon aciculata, Bothriochola intermedia, Centotheca lappacea, Oplismenus compositus, Cyperus* species*, Fimbristylis* species. Forests are mainly composed of *Tectona grandis, Anogeissus acuminata, Albizia procera, Schima wallichii, Glochidion lanceolarium* and *Ficus racemosa* species. The dominating shrub species in the sanctuary are *Clerodendrum viscosum*, *Antidesma acidum*, *Clausena heptaphylla*, *Psychotria adenophylla*, *Dracena angustifolia,* etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary consists of tree species *Acacia auriculiformis* Griseb, *Acacia caesia* Wall, *Albizia procera* (Roxb.) Benth., *Antidesma acuminatum* Wall., *Bischofia javanica* Bl., *Ficus racemosa* L., *Gardenia resinifera* Roth. The shrubs include *Abrus precatorious* (Linn.)*, Achyranthes aspera* (Linn.), *Adhatoda zeylenica*

(Medic.), *Allophyllus cobbe* (Linn.) Raeschel, *Coix gigantia* Koenig ex Roxb, *Dillenia indica* (Linn.) and medicinal plants in the Sanctuary are *Abrus precatorious* Linn., *Achyranthes aspera* Linn., *Adhatoda zeylenica* Medic., *Albizia lebbeck* Benth., *Allium ampeloprasum* (Hook.) Linn., *Allophyllus cobbe* (Linn.) Raeschel, *Lasia spinosa* Thw., *Ricinus communis* Linn., *Wendlandia tinctoria* (Roxb.) DC. and *Zizyphus funiculosa* Mill. etc;

AND WHEREAS, Gumti Wildlife Sanctuary supports conservation and protection of 43 rare and endangered floral species including *Artocarpus lakoocha* (Deua chamal), *Ailanthus exelsa* (Jal tungi), *Accacia nilotica* (Babul), *Alstonia scolaris* (Chatim), *Albizia stipulate* (Seta sirish), *Adenanthera pavonia* (Rakta chandan), *Averrhoa bilimbi* (Bilimbi), *Averrhoa carambola* (Kamranga), *Anona squamosa* (Sitaphal), *Anona reticulate* (Nona), *Bombax ceiba* (Shimul), *Bixa orellana* (Latkon), *Crataeva nurvala* (Barun), *Cinnamomum camphora* (Karpur), *Cinnamomum tamala* (Tej Patta), *Couroupita guianensis* (Nagalingam), *Cissus quadrangularis* (Harzora), *Duabhanga grandiflora* (Ram Dala), *Dalbergia sisso* (Shisoo), *Diospyros Montana* (Ban Gaab), *Diospyros perigrina* (Gaab), *Ficus elastic* (Indian rubber), *Ficus krishnae* (Krishna Bot), *Ficus recemosa* (Jagga Dumur), *Feronia limonia* (Koed Bel), *Garcinia cowa* (Kau phal), *Hydnocarpus kurzii* (Chalmogra), *Lagerstroemia flos regene* (Gang Jarul), *Mellotus philipinensis* (Kunjuna / Kamela), *Mesua ferrea* (Nageswar), *Mangifera sylvatrica* (Laxmi Am), *Murraya paniculata* (Kamini), *Mimosa rubicanas* (Ghila), *Psidium guineense* (Ban guava), *Syzigium jambos* (Golap Jam), *Syzigium samarangense* (Jamrul), *Sapindus mucorosa* (Ritha), *Saraca asoca* (Ashok), *Spondias pinnata* (Amrra), *Sterculia villosa* (Udal), *Swetenia macrophylla* (Big Mehogony), *Swetenia mahagoni* (Mehogini) and *Vitex nagundu* (Nishinda), etc;

AND WHEREAS, heterogeneous landscapes of the Sanctuary provide ideal environmental condition for the occurrence of rich faunal biodiversity and main fauna are Asian elephant, barking dear, wild pig, jungle cat, Indian porcupine, Malayan giant squirrel. Sanctuary also supports threatened species including hoolock gibbons, slow loris, capped langur and Phayre's leaf monkey, declared under Wildlife (Protection) Act, 1972 (Schedule I / II). The Sanctuary is astonishing rich in avifauna and supports 124 bird species including lesser whistling duck (*Dendrocyana javanica),* bar-headed goose (*Anser indicus),* ruddy shelduck (*Tadorna ferruginea),* gadwall (*Mareca strepera),* common teal (*Anas crecca),* common quail (*Coturnix coturnix),* red junglefowl (*Gallus gallus),* kalij pheasant (*Lophura leucomelanos),* rock dove (*Columba livia),* Oriental turtle dove (*Streptopelia orientalis),* spotted-necked dove (*Streptopelia chinensis),* orange-breasted green pigeon (*Treron bicinctus),* yellow-legged green pigeon (*Treron phoenicopterus),* pin-tailed green pigeon (*Treron apicauda),* wedge-tailed green pigeon (*Treron sphenurus),* emerald dove (*Chalcophaps indica),* Indian nightjar (*Caprimulgus asiaticus),* Asian palm swift (*Cypsiurus balasiensis),* fork-tailed swift (*Apus pacificus),* house swift (*Apus nipalensis),* little swift (*Apus affinis),* greater coucal (*Centropus sinensis),* lesser coucal (*Centropus bengalensis),* green-billed malkoha (*Phaenicophaeus tristis),* common koel (*Eudynamys Scolopaceus),* drongo cuckoo (*Surniculus lugubris),* Indian cuckoo (*Cuculus micropterus),* Indian pond heron (*Ardeola grayii),* cattle egret (*Bubulcus ibis),* striped tit babbler (*Mixornis qularis),* marsh babbler (*Pellorneum palustre),* lesser necklaced laughing-thrush (*Garrulax monileger),* rufous-necked laughing-thrush (*Garrulax ruficollis),* Asian pied starling (*Gracupica contra),* chestnut-tailed starling (*Sturnia malabarica),* common myna (*Acridotheres tristis),* jungle myna (*Acridotheres fuscus),* hill myna (*Gracula religiosa),* Indian robin (*Saxicoloides fulicatus),* Oriental magpie robin (*Copsychus saularis),* Asian verditer flycatcher (*Eumvias thalassinus),* Indian blue robin (*Larvivora brunnea),* etc.;

AND WHEREAS, the Gumti Wildlife Sanctuary supports and protection of 42 rare and endangered faunal species including *Rana tigrina* (paddy field frog), *Rana tigriana daudin* (Indian bull frog), *Polypedates maculates* (tree frog), *Tockus birostris* (common grey hornbill), *Microptornus brachyurus* (refous woodpeaker), *Trachypithecus pileatua durga* (capped langur), *Trachypithecus obscures phayrei* (spectacle langur), *Manis pantacactyla* (chinese Pangolin), *Bunopithecus hoolook* (hoolook gibbon), *Elephus maxima* (Indian elephant), *Felia bengalensis* (leopard cat), *Nycticebus coucang* (slow Lorris), *Macaca mulatta* (Rhesus macaque), *Cuon alpines* (wild dog), *Muntiacus muntjak* (barking deer), *Sus crofa* (Wild boar), *Hystrix indica* (Indian porcupine), *Felis marmorata* (jungle cat), *Viverra Zibatha* (Large Indian civet), *Herpestes auropunctalus* (common mongoose), *Herpestes viva* (Small Indian mongoose), *Lutra lutra* (common otter), *Canis aursus* (Jackel), *Melursus ursinus* (Sloth beer), *Sielenoretosthinatanus* (Himalayan beer), *Scotophilus heathi* (Common yellow Bat), *Ratufa bicolour* (Malayan giant squirrel), *Panthar parcus* (leopard), *Macaca nemestrina* (Pig tailed Maccaque), *Macaca arctoides* (Stump tailed Maccaque), *Capra hircus* (Wild goat), *Tor tor* (Mahashol), *Ponitus sophore* (sor puthi), *Denio devario* (baspata), *Botia dario* (Ranimacch /Betrangi), *Bagarius bagarius* (Bagha Aire), *Nandus nandus* (Meni), *Colisa lalio* (Khalisha), *Colisa chuna* (Khaiya), *Macrognathus aculeatus* (Bangash), *Tetrasdon cutcutia* (Ball Fish) and *Alpocheilus panchax* (chokh Kuni), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Gumti Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.2 kilometres around the boundary of Gumti Wildlife Sanctuary, in South Tripura district in the State of Tripura as the Eco-sensitive Zone

(hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

2. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1.20 kilometres around the boundary of Gumti Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 58.91 square kilometres *(Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to international boundary with Bangladesh in East and South-East border of the Sanctuary)*. The 30 meter extent of Eco-sensitive Zone around Gumti Wildlife Sanctuary is justified as 'The 30 meters extent was proposed along East side of the Wildlife Sanctuary because of the continuous habitations. More than 35 villages are falling towards Eastern Side of the Wildlife Sanctuary including Gandacherra, Narayanpur Raishyabari, JB Para, Ganganagar'etc.

(2) The boundary description of Gumti Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Gumti Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details, latitudes - longitudes and villages location are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Gumti Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
8.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication	Regulated under applicable laws (underground cabling may be

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	towers and laying of cables and other infrastructures.	promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Conservator of Forests/ Deputy Conservator of Forests/ Park and Sanctuary, Government of Tripura	Chairman, *ex officio*
(ii)	Senior Town Planner of the area	Member;
(iii)	Representative of non-governmental organization working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Tripura	Member;
(iv)	Regional Officer, Tripura State Pollution Control Board	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed Institution/University of Tripura to be nominated by the Government of Tripura	Member;
(vi)	Expert in biodiversity to be nominated by State Govt.	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer (Protected Area)	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/33/2015-ESZ/RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND GUMTI WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE TRIPURA

Northern boundary:

Northern side of proposed ESZ of the Sanctuary consists of Atharamura Reserve Forest (RF) and Kulai RF Extension where ESZ boundary is kept as 1.2 Km from the boundary of the Sanctuary. The Atharamura RF is just above the Juricharra and in the Western side Lakshmipur Mouja. Kulai Reserve Forest Extension is bordering with Ulemcharra Mouja of Ambassa Civil Sub-Division.

North-Western boundary:

North-West side of proposed ESZ of the Sanctuary consists of Uttar Gukulnagar, Dakshin Gukulnagar of Teliamura Civil Sub-Division where proposed ESZ boundary is kept as 1.2 km from the boundary of the Sanctuary and Paschim Kalajhari RF of Amarpur Civil Sub-Division where proposed ESZ boundary is kept as 0.5 Km from the boundary of the Sanctuary. Out of three Moujas, two mouja namely Uttar Gukulnagar and Dakshin Gukulnagar is bordering with BramhaChhara in the upper side and Jambhukchhara in the lower side. The Mouja i.e. Paschim Kalajhari RF is below the Dakshin Gukulnagar and extend up to EkjanCharra which is approximately 17.5 km from the boundary of the Dakshin Gukulnagar Mouja.

Southern boundary:

Southern boundary of proposed ESZ of the Sanctuary is bordering with international Border with Bangladesh. Adjoining Mouja is Paschim Kalajhari RF under Amarpur Civil Sub-Division.

South -Western boundary:

South-Western boundary of proposed ESZ of the Sanctuary consist of Paschim Kalajhari RF under Amarpur Civil Sub-Division where proposed ESZ boundary is kept as 0.5 Km from the boundary of the Sanctuary. The South-West sides starts below the EkjanCharra and extend right below the South point extending approximately 45.0 km. Below the South point there an international Border with Bangladesh. The Paschim Kalajhari RF under Amarpur Civil Sub-Division is bordering with Purba Kalajhari RF (which is within the Sanctuary).

North-Eastern boundary:

North-Eastern boundary starts from Ulemchhara Mouja of Ambassa Civil Sub-Division and extend up to Paschim Gandacharra Mouja of Gandacharra Civil Sub-Division. The North-Eastern boundary of proposed ESZ of the Sanctuary consist of Ulemchhara, Lalchhara, Khamupara, Siddhapara where proposed ESZ boundary is kept as 0.5 km from the boundary of the sanctuary and Jineraipara, Ultacharra an Paschim Gandacharra where proposed ESZ boundary is kept as 0.03 Km from the boundary of the Sanctuary. The Ambassa-Gandachhara road enters in the middle of the Ulemchhara and Lalcharra Mouja and then passing through Karmapara, Radharambari and finally passing through outside the Sanctuary where it meets at Ultacharra Mouja.

South -Eastern boundary:

South-Eastern boundary of proposed ESZ of the Sanctuary consist of Sarma, Bulangbasa, Ranipukur, Kamalkhal, Paschim Raima, Paschim Potachhari Mouja of Gandachhara Civil Sub-Division where ESZ boundary is kept as 0.030 Km from the boundary of the Sanctuary and Chackpur Mouja of Karbook Civil Sub-Division where ESZ boundary is kept as 0.5 Km from the boundary of the Sanctuary. The Ambassa-Gandachhara road passing through the border of the ESZ at Sarma Mouja, 1.2 Km away from the boundary of ESZ at Bulangbasa Mouja, touching the boundary of ESZ at Ranipukur Mouja, 0.75 Km away from the boundary of ESZ at Kamalkhal Mouja, 2.5 Km from the boundary of ESZ at Paschim Raima Mouja. In Paschim Potachhari Mouja, the ESZ boundary is approximately 3.7 Km away from international border with Bangladesh. In Chakpur Mouja, the ESZ boundary is approximately 4.25 Km away from international border with Bangladesh.

The Southern boundary of the Sanctuary share international boundary with Bangladesh and hence is 0.0 km of Eco-Sensitive Zone is being proposed. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (International Boundary with Bangladesh) to 1.2 km.

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF GUMTI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

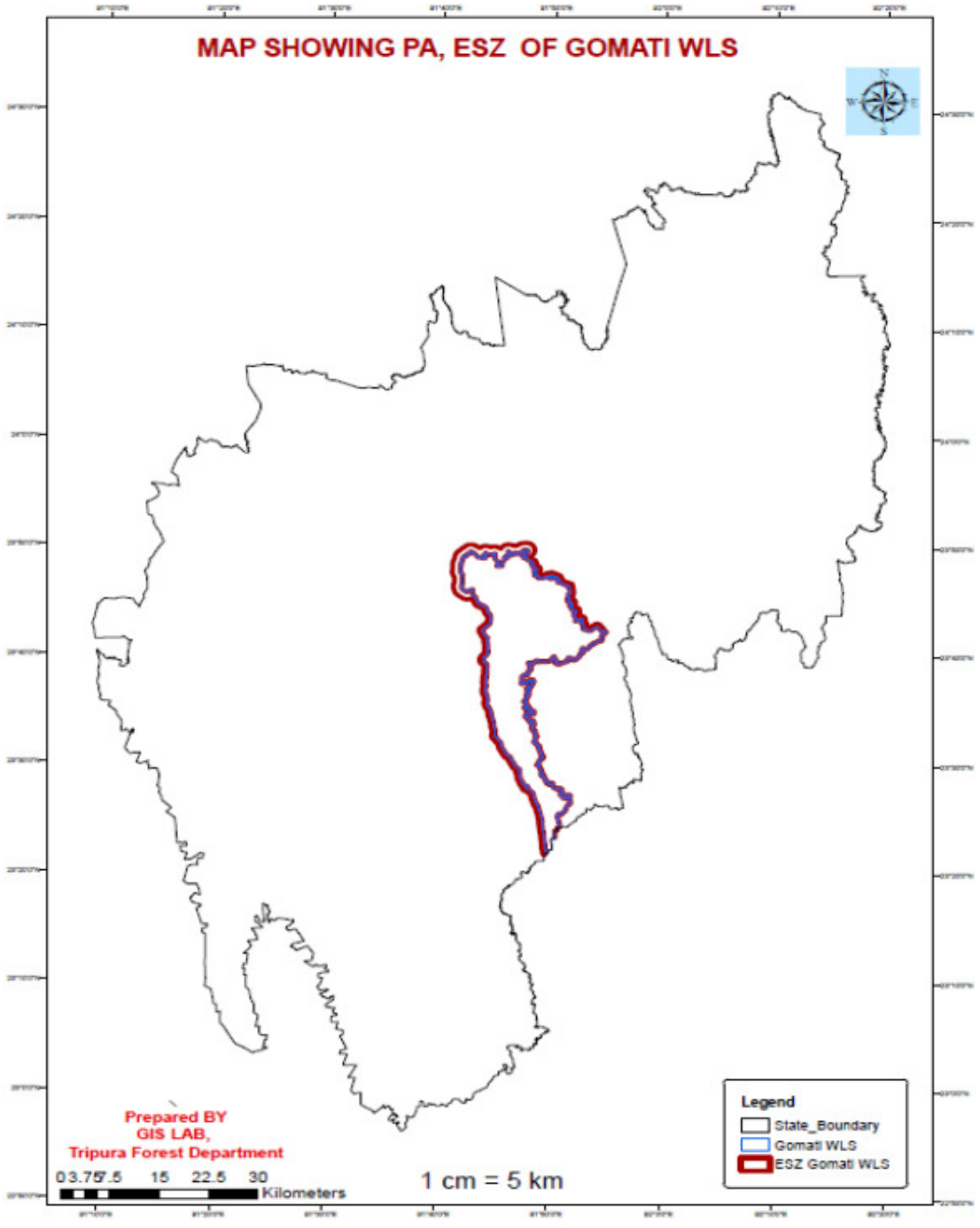

ANNEXURE- IIB

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GUMTI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

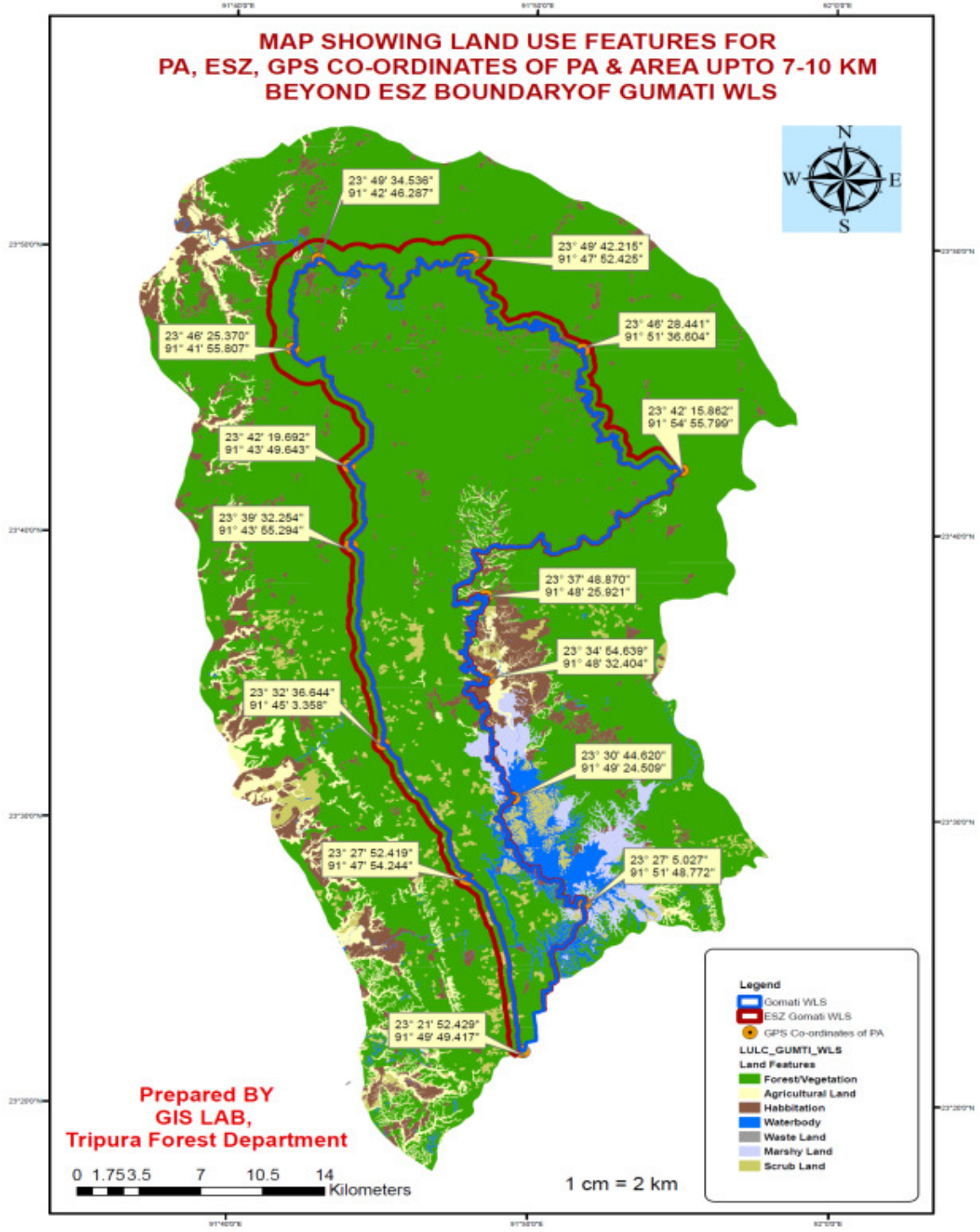

ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LOCATION OF VILLAGES IN ECO-SENSITIVE ZONE OF GUMTI WILDLIFE SANCTUARY TOGETHER WITH ITS LATITUDES AND LONGITUDE

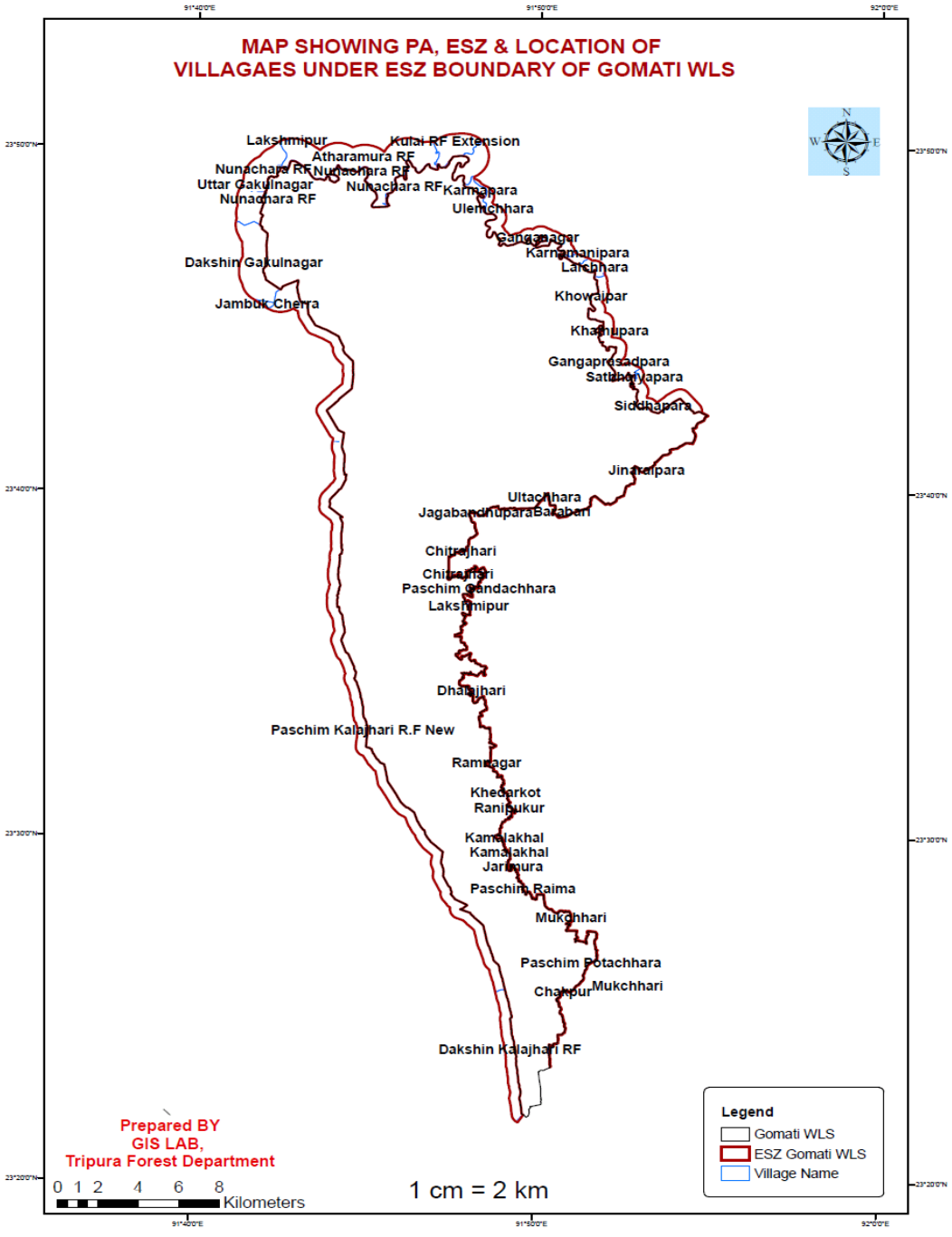

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF GUMTI WILDLIFE SANCTUARY

SL. No.	Latitude	Longitude
1.	23°49′ 34.536″	91° 42′ 46.287″
2.	23° 39′ 32.254″	91° 43′ 55.294″
3.	23° 27′ 52.419″	91° 47′ 54.244″
4.	23° 21′ 52.429″	91° 49′ 49.417″
5.	23° 27′ 5.027″	91° 51′ 48.772″
6.	23° 30′ 44.620″	91° 49′ 24.509″
7.	23° 37′ 48.870″	91° 48′ 25.921″
8.	23° 42′ 15.862″	91° 54′ 55.799″
9.	23° 46′ 28.441″	91° 51′ 36.604″
10.	23° 49′ 42.215″	91° 47′ 52.425″

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Offset '0' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	**Latitude**	**Longitude**	**Remarks**
1	23° 24'06.00"	91° 50'45.36"	Offset '0' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with international border with Bangladesh. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as zero. This area falls within the jurisdiction of Karbook Sub-Division.
2	23° 23'31.88"	91° 50' 20.17"	
3	23° 23'02.56"	91°50'14.39"	
4	23°22'35.54"	91°50'12.96"	
5	23°21'48.72"	91°50'00.59"	
6	23°21'44.08"	91°49'48.84"	
7	23° 21'44.03"	91°49'36.10"	
Offset '500' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	**Latitude**	**Longitude**	**Remarks**
1	23°25'30.26"	91°51'24.11"	Offset '500' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Chakpur Mouja of Karbook Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept as 500 meter.
2	23°25'22.15"	91°51'19.94"	
3	23°25'06.96"	91°50'45.04"	
4	23°24'18.27"	91°50'55.08"	
5	23°24'05.69"	91°50'45.67"	
Offset '30' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	**Latitude**	**Longitude**	**Remarks**
1.	23°41'09.68"	91°54'35.61"	Offset '30' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Gandachhara Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as
2.	23° 40'27.87"	91° 54'09.65"	
3.	23°39'55.45"	91°53'23.18"	

4.	23°39’45.38”	91°53’08.34”	30 meter from the boundary of Gandachhara Sub-Division.
5.	23°39’45.46”	91°52’39.93”	
6.	23°39’01.45”	91°52’26.75”	
7.	23°38’44.98”	91°51’49.05”	
8.	23°39’0.20”	91°51’25.25”	
9.	23°38’15.06”	91°50’28.07”	
10.	23°38’17.35”	91°50’15.95”	
11.	23°38’56.15”	91°49’56.90”	
12.	23°38’34.21”	91°49’39.53”	
13.	23°38’27.07”	91°48’11.35”	
14.	23°36’58.39”	91°48’08.98”	
15.	23°36’52.81”	91°48’15.29”	
16.	23°36’17.03”	91°48’16.36”	
17.	23°36’08.86”	91°48’26.55”	
18.	23°35’40.77”	91°48’40.14”	
19.	23°35’30.47”	91°48’38.50”	
20.	23°35’19.17”	91°48’21.01”	
21.	23°34’51.90”	91°48’27.99”	
22.	23°34’48.93”	91°48’39.66”	
23.	23°34’40.48”	91°48’44.00”	
24.	23°38’31.86”	91°48’42.82”	
25.	23°34’14.35”	91°48’54.12”	
26.	23°33’42.04”	91°48’34.36”	
27.	23°33’18.31”	91°48’31.06”	
28.	23°33’01.04”	91°48’40.75”	
29.	23°32’53.33”	91°49’02.42”	
30.	23°32’31.55”	91°49’09.44”	
31.	23°32’18.09”	91°49’24.33”	
32.	23°32’04.89”	91°49’25.25”	
33.	23°31’07.95”	91°49’05.54”	
34.	23°30’45.47”	91°48’57.23”	
35.	23°30’40.11”	91°49’02.19”	
36.	23°30’26.84”	91°49’20.64”	
37.	23°30’02.88”	91°49’20.30”	
38.	23°29’43.47”	91°48’58.07”	
39.	23°29’27.24”	91°48’58.09”	
40	23°29’14.50”	91°49’08.80”	
41.	23°28’52.57”	91°49’14.86”	
42.	23°28’42.31”	91°49’34.89”	
43.	23°28’21.74”	91°49’40.98”	

44.	23°28'11.86"	91°49'50.17"	
45.	23°28'09.63"	91°50'03.20"	
46.	23°27'49.53"	91°50'12.03"	
47.	23°27'41.12"	91°50'19.83"	
48.	23°27'38.10"	91°50'39.90"	
49.	23°27'43.92"	91°50'51.14"	
50.	23°27'38.27"	91°50'56.24"	
51.	23°27'40.97"	91°51'15.48"	
52.	23°27'15.98"	91°51'44.46"	
53.	23°26'57.16"	91°51'50.90"	
54.	23°26'22.85"	91°51'44.30"	
55.	23°25'30.52"	91°51'14.20"	

Offset '500' meter at South-West side of Gumti Wildlife Sanctuary

Sl. No.	**Latitude**	**Longitude**	***Remarks***
1.	23°21'44.73"	91°49'23.89"	Offset '500' meter at South West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Amarpur Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 500 meter from the boundary of Amarpur Sub-Division. The Moujas falling in the proposed ESZ are Purba Manikya Dewan & Paschim Kalajhari RF.
2.	23°24'39.88"	91°49'04.37"	
3.	23°26'40.63"	91°48'30.17"	
4.	23°27'28.15"	91°47'42.59"	
5.	23°27'59.10"	91°47'22.27"	
6.	23°29'09.75"	91°47'03.35"	
7.	23°30'23.42"	91°46'06.49"	
8.	23°32'09.19"	91°45'03.28"	
9.	23°33'34.98"	91°44'53.76"	
10.	23°34'44.05"	91°44'24.75"	
11.	23°36'24.55"	91°44'11.25"	
12.	23°37'53.23"	91°44'17.29"	
13.	23°38'21.15"	91°44'13.20"	
14.	23°38'42.23"	91°43'54.44"	
15.	23°39'42.83"	91°44'14.87"	
16.	23°40'18.05"	91°44'12.84"	
17.	23°40'34.62"	91°43'51.85"	
18.	23°40'57.00"	91°43'44.01"	
19.	23°41'21.80"	91°43'51.62"	
20.	23°41'46.76"	91°44'18.08"	
21.	23°42'02.56"	91°44'19.90"	
22.	23°42'32.04"	91°44'12.71"	
23.	23°43'00.03"	91°43'49.87"	
24.	23°43'22.04"	91°43'09.81"	
25.	23°44'11.57"	91°42'34.96"	

Offset '500' meter at North-East side of Gumti Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Latitude	Longitude	Remarks
1.	23°48'23.09"	91°47'28.07"	Offset '500' meter at North East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Ambassa Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 500 meter from the boundary of Ambassa Sub-Division. The Mouja falling in the proposed ESZ are Ulemchhara, Lalchhara, Khamupara & Siddhapara.
2	23°48'03.43"	91°47'29.79"	
3	23°47'46.96"	91°47'17.95"	
4	23°47'34.80"	91°47'22.78"	
5	23°47'27.91"	91°47'45.15"	
6	23°47'07.15"	91°48'05.64"	
7	23°46'10.39"	91°48'31.11"	
8	23°46'01.51"	91°48'56.68"	
9	23°46'09.52"	91°49'27.60"	
10	23°45'59.07"	91°50'21.09"	
11	23°45'12.27"	91°51'07.18"	
12	23°45'08.10"	91°51'28.25"	
13	23°44'04.49"	91°51'25.45"	
14	23°43'48.71"	91°51'46.08"	
15	23°43'21.76"	91°51'48.67"	
16	23°43'06.60"	91°52'09.00"	
17	23°42'51.21"	91°52'19.75"	
18	23°42'27.67"	91°52'06.88"	
19	23°42'21.73"	91°51'57.84"	
20	23°42'21.91"	91°52'42.87"	
21	23°41'28.18"	91°52'46.80"	
22	23°41'27.36"	91°53'06.88"	
23	23°41'42.05"	91°53'26.46"	
24	23°41'46.45"	91°53'46.59"	
25	23°41'16.47"	91°53'47.13"	

Offset '1200' meter at North-West side of Gumti Wildlife Sanctuary

Sl. No.	*Latitude*	*Longitude*	*Remarks*
1	23°43'58.34"	91°41'59.48"	Offset '1200' meter at North-West side of Sanctuary is bordering with Teliamura Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 1200 meter from the boundary of the Sanctuary. The Mouja falling in the proposed ESZ are Atharamura RF & Kulai RF Extension.
2	23°44' 28.43"	91°41'24.39"	
3	23°44'59.34"	91°41'22.89"	
4	23°45'27.73"	91°41'32.75"	
5	23°44'09.89"	91°41'18.80"	
6	23°46'56.09"	91°41'27.39"	
7	23°48'16.91"	91°41'01.95"	

Offset '1200' meter at West side of Gumti Wildlife Sanctuary			
1	23°48'34.20"	91°42'29.74"	Offset '1200' meter at West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Teliamura Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 1200 meter from the boundary of the Sanctuary. The Mouja falling in the proposed Eco-sensitive Zone are Dakshin Gokulnagar and Uttar Gokulnagar.
2	23°48'30.31"	91°43'03.53"	
3	23°48'14.03"	91°43'17.39"	
4	23°48'23.93"	91°43'37.17"	
5	23°48'21.58"	91°44'04.48"	
6	23°48'29.63"	91°44'39.24"	
7	23°48'13.99"	91°45'06.25"	
8	23°48'22.82"	91°45'09.05"	
9	23°48'36.92"	91°45'34.82"	
10	23°48'36.81"	91°46'00.15"	
11	23°48'28.51"	91°46'10.93"	
12	23°48'31.42"	91°46'25.95"	
13	23°48'43.53"	91°46'31.42"	
14	23°48'50.78"	91°47'09.88"	
15	23°48'32.43"	91°47'41.87"	

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF GUMTI WILDLIFE SANCTUARY

Sl No.	Name of Village
1.	Ultacherra,
2.	Laxmipur,
3.	Gandhacherra,
4.	Sarma,
5.	Pancharatan,
6.	East Potacherra,
7.	J.B. para,
8.	Ramnagar,
9.	Tuichakma,
10.	Thakurcharra,
11.	Kalajhari,
12.	Ratannagar,
13.	Dhalajhari,
14.	Bhagirath,
15.	Dalapati,
16.	Boalkhali,
17.	West Potacherra,
18.	Kalyansingh,
19.	Raima,
20.	Mukcharri,
21.	Chakpur
22.	Mungiakami

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.14 16:06:30 +05'30'